यह लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, कमाण्डेन्ट इण्डिया रिजर्व वाहिनी द्वीतीय, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, कमाण्डेन्ट इण्डिया रिजर्व वाहिनी द्वीतीय, हरिद्वार के माह 11/2015 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री के.एस. चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02-11-2020 से 07-11-2020 तक श्री पी.के. गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी0 एस0 नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री ललित थपलियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र पाण्डेय वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05.11.2015 से 19.11.2015 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/13 से 10/15 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः हरिद्वार।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत
2017-18	-	-	**4491.51**	**4416.89**	**292.64**	**291.37**	-	**74.62**	-	**1.27**
2018-19	-	-	**4765.28**	**4754.93**	**321.97**	**320.58**	-	**10.35**	-	**1.39**
2019-20	-	-	**4956.36**	**4956.36**	**459.87**	**458.57**	-	-	-	**1.30**

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

कमाण्डेन्ट
सहायक कमाण्डेन्ट
प्रशासनिक अधिकारी
कम्पनी कमाण्डर
प्रशासनिक निरीक्षक
वरिष्ठ लेखाकार
कनिष्ठ लेखाकार
सिपाही

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कमाण्डेन्ट इण्डिया रिजर्व वाहिनी द्वितीय हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कमाण्डेन्ट इण्डिया रिजर्व वाहिनी द्वितीय हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। मार्च 2019 एवं मार्च 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग-2(अ)

---शून्य---

<u>भाग -2 ब</u>

प्रस्तर 01:– अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत SGHS **अंशदान की कटौती कार्मिको के वेतन से न किया जाना।**

आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के **शासनादेश संख्या 688/XXVIII-4-2018-04/2008 टी.सी. एवं योजना के दिनांक 14.09.2018** अन्तर्गत संशोधित शासनादेश सख्या–(1)XXXVVIII-3-2020 **दिनांक 04 मई 2020 के अनुसार** उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कर्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत **चिकित्सकीय** उपचार को प्रभावी बनायें **जाने** हेतु **निर्धारित** दरों पर प्रतिमाह वेतन अंशदान नियमानुसार किया जायेगा। **विवरण निम्न प्रकार है:-**

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू 250/–प्रतिमाह **तथा 04 मई 2020 से पूर्व 100/- प्रति माह**
2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू 450/–प्रतिमाह **तथा 04 मई 2020 से पूर्व 200/- प्रति माह**
3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू 650/–प्रतिमाह **तथा 04 मई 2020 से पूर्व 300/- प्रति माह**
4. वेतन लेवल 12 एवं उत्चतर राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू 1000/–प्रतिमाह **तथा 04 मई 2020 से पूर्व 400/- प्रति माह**

उक्त शासनादेशों के अनुसार विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती <u>ट्रेजरी/आहरण–</u> वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि राज्य **स्वास्थ्य** अभिकरण के खातें में e- transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जायेगी।

कार्यालय सेनानायक, इण्डिया रिजर्व वाहिनी द्वितीय, हरिद्वार **के** अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से सम्बन्धित अभिलेखें की **जाँच** में पाया गया कि कार्यालय में किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन से SGHS अशदानं की कटौती नही की जा रही है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि वाहिनी के समस्त कर्मियों को शीध्र कार्ड बनवाने हेतु सूचित कर दिया गया है। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा **आपत्ति** की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत SGHS अशंदान की कटौती वेतन से न किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	**भाग -दो "अ"प्रस्तर संख्या**	**भाग -दो "ब" प्रस्तर संख्या**	**विभाग द्वारा अनुपालन आख्या**
39/2015-16	शून्य	प्रस्तर-1 अवमुक्त धनराशि रु. 1.00 पर अर्जित ब्याज राजकोष मे जमा न किया जाना।	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा।
		प्रस्तर-2 अनियमित व्यय रु. 2.55 लाख	
		प्रस्तर-3 5.78 लाख की Inflatable Tower light का निष्क्रिय रहना।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य -----------------------------

भाग-V

आभार

1. **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित, मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय** कमाण्डेन्ट इण्डिया रिजर्व वाहिनी द्वीतीय, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य
   सत्त अनियमितताए नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई है।
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्रीमती विमला गुंज्याल	कमाण्डेन्ट	12.02.2014 से 26.09.2016
2.	श्री अरुण मोहन जोशी	कमाण्डेन्ट	28.09.2016 से 03.08.2019
3.	श्री जनमेजय खण्डूडी	कमाण्डेन्ट	03.08.2019 से 28.12.2019
4.	श्री मंजूनाथ टी.सी.	कमाण्डेन्ट	28.12.2019 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय कमाण्डेन्ट इण्डिया रिजर्व वाहिनी द्वीतीय, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III